



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022025-261307
CG-DL-E-25022025-261307

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2025/फाल्गुन 6, 1946

No. 112]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2025/PHALGUNA 6, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2025

सं. 01/2025—सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा.का.नि. 146(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “सक्करीन, अपने सभी रूपों में” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2925 11 00 के अंतर्गत आते हैं, और जिसके मामले को अधिसूचना संख्या 7/34/2023-डीजीटीआर, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि काउंटरवेलिंग ड्यूटी समाप्त होने से सक्विडी जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है और विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के : आयात पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी को जारी रखने की सिफारिश की है।

अतः, अब, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ (सक्विडाइज़्ड वस्तुओं की पहचान, आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण और क्षति निर्धारण)

नियमावली, 1995 के नियम 20, 22 और 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2019-सीमा शुल्क (सीबीडी), दिनांक 30 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 610(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2019 द्वारा प्रकाशित हुई थी, के अधिक्रमण में सिवाय उन चीजों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयीं या करने से छूट गयीं, केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, उक्त विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मदों के अंतर्गत आती हैं जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है या वहां से निर्यातित है, और कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्माताओं द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर उस राशि तक की काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है जो कि कॉलम (6) में उल्लिखित है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादक/निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2925 11 00	सक्करीन, अपने सभी रूपों में	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	20

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगायी गयी काउंटरवेलिंग ड्यूटी इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

- (क) ऐसी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की प्रासंगिक तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी;
- (ख) “सीआईएफ मूल्य” से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/18/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

अम्रीता टाइम्स, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2025

No. 01/2025-Customs (CVD)

G.S.R. 146(E).—Whereas, in the matter of “Saccharin in all its forms” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2925 11 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as

the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 7/34/2023-DGTR, dated the 27th November, 2024, has *inter alia* come to the conclusion that the cessation of countervailing duty is likely to lead to continuation or recurrence of subsidization and injury to the domestic industry and has recommended continued imposition of countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20, 22 and 24 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) number 2/2019-Customs (CVD), dated the 30th August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 30th August, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under tariff items of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in or exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (4), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (5), and imported into India, a countervailing duty of an amount as specified in the corresponding entry in column (6) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Tariff Item	Description of goods	Country of Origin/Export	Producer	Duty amount as % of CIF Value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2925 11 00	Saccharin in all its forms	China PR	Any	20

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification,—

- the rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act;
- “CIF value” means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. CBIC-190354/18/2025-TRU Section-CBEC]

AMREETA TITUS, Director